प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12th अगस्त, 2026

प्रत्यक्ष कर पर 2026 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 32- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अस्पष्टीकृत लेनदेन पर कराधान पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने 'आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अस्पष्टीकृत लेनदेन पर कराधान' पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर मई 2026 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ चर्चा की गई थी। प्रतिवेदन को आज संसद के पटल पर रखा गया।

वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 01/04/2013 (निर्धारण वर्ष 2013-14 से प्रभावी से एक नई धारा (115बीबीई सम्मिलित की गई, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी या 69डी के अंतर्गत प्रभार्य आय सम्मिलित है, तो ऐसी आय पर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत निर्धारिती को किसी भी व्यय या छूट के संबंध में कटौती की अनुमति दिए बिना 30 *प्रतिशत* की दर से कर लगाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016 में नोटबंदी के पश्चात, काले धन को छिपाने के लिए अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु, धारा 115बीबीई के प्रावधानों में संशोधन किया गया, जिसमें कर की दर को 30 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 60 *प्रतिशत* किया गया और कर पर 25 *प्रतिशत* का एक समान अधिभार लगाया गया, ताकि कर न चुकाने वाले करदाताओं पर उच्च दर से कराधान सुनिश्चित किया जा सके।

इस अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ₹ 25,085 करोड़ के कर प्रभाव सहित 1,902 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं, जिन्हें आय कर विभाग के सभी19 क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान किए गए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उठाया गया था।

कुल 1,902 अभ्युक्तियों में से, ₹ 13,258 करोड़ कर प्रभाव वाले 1,643 अभ्युक्तियों में, मंत्रालय/विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार कियासुधारात्मक कार्रवाई शुरू की/सुधार किया/, जबकि ₹ 2,349 करोड़ कर प्रभाव वाले 39 मामलों में, मंत्रालय/विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं कियासुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त/, ₹ 9,478 करोड़ कर प्रभाव वाले 220 मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने कोई उत्तर नहीं दिया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

- लेखापरीक्षा ने 23 राज्यों में कर/अधिभार की दर के गलत अनुप्रयोग से संबंधित 926 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का संज्ञान लिया, जिनका कर प्रभाव ₹ 4,707 करोड़ था। इन 926 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, ₹ 4,384 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 889 अभ्युक्तियाँ कर/अधिभार की कम वसूली से संबंधित थीं, जबकि ₹ 323 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 37 अभ्युक्तियाँ कर/अधिभार की अधिक वसूली से संबंधित थीं।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 राज्यों में, ₹ 1,230 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 331 मामलों में, निर्धारण के पश्चात निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, आईटीएनएस में निर्धारित आय को वास्तविक निर्धारित आय से दोगुना/तिगुना या उससे अधिक गुना या उससे कम या शून्य दर्शाया गया था।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण आदेशों में निर्धारित आय की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारियों ने 12 राज्यों में ₹ 349 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 56 मामलों में धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी, 69डी के अंतर्गत की गई बढ़ोतरी से हानि का गलत तरीके से समायोजन किया।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 राज्यों में ₹ 18,799 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 589 मामलों में, निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी, 69डी के प्रावधानों को समान रूप से लागू नहीं किया, जबकि उक्त लेनदेन फर्जी प्रकृति के थे या उनका स्रोत अस्पष्टीकृत था, जिसके परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ या आय का निर्धारण नहीं हो पाया।
- लेखापरीक्षा ने इस प्रतिवेदन में दर्ज किए गए 1,902 मामलों में से 51 मामलों में पाया कि धारा 115बीबीई की शुरुआत से पहले यानी, नि .व.2012-13 तक, के मामलों में पाई गई अनियमितताएंअसंगतियां/, इस धारा की शुरुआत के बाद संसाधित मामलों में भी बनी रहीं।
- लेखापरीक्षा ने आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु मामलों के चयन की निगरानी में कमी पाई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 1,902 मामलों में से 1,777 मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में 103 मामलों में से 17 ऐसे उदाहरण मिले, जहां प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीएजी लेखापरीक्षा) पूरा होने के पश्चात आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, इससे पता चलता था कि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया

गया था और संबंधित आयकर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त आयकर विभाग की लेखापरीक्षा नियमावली 2019 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नहीं कर सके।

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का सार नीचे दिया गया है:

- हालांकि विभाग ने लेखापरीक्षा में बताए गए मामलों में सुधारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये केवल कुछ उदाहरण वाले मामले हैं जिनकी लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई थी। इसलिए, सीबीडीटी उपलब्ध मैनपावर के आधार पर, रिस्क एनालिसिस करने और सीबीडीटी द्वारा तय की जाने वाली वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित संभावित निर्धारण मामलों की समीक्षा कर सकता है। इन मामलों में ऐसे निर्धारण शामिल हो सकते हैं जिनमें बिना बताए या बिना खुलासा किए गए लेनदेन पर कर लगाया जाना हो, ताकि राजस्व का नुकसान न हो।
- सीबीडीटी ऐसी त्रुटियों के कारणों को चिन्हित करने पर विचार करे और तदनुसार भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक त्रुटिरहित सूचना प्रौधोगिकी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करे।
- सीबीडीटी यह जांच करे कि पाई गई के मामले चूक या जानबूझकर की गई "त्रुटियों" त्रुटियां हैं, और जानबूझकर की गई त्रुटियों के मामले में, आयकर विभाग विधियों के अनुसार जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।
- सीबीडीटी गणना संबंधी त्रुटियों के कारणों को चिन्हित करे और राजकोष को राजस्व हानि, मुकदमेबाजी और निर्धारिती को असुविधा से बचानेकम करने हेतु प्राथमिकता के आधार / पर समस्या को ठीक करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार करे।
- सीबीडीटी प्रासंगिक धाराओं के प्रावधानों को लागू करने में भिन्नताओं और निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों के कारणों की जांच करे और निर्धारण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, संभवतः उदाहरणों सहित, मानक परिचालन प्रक्रियाओं/ दिशानिर्देशों को जारी करने पर विचार करे, जिससे सरकारी खजाने/कोष को होने वाली हानि/संभावित मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।
- सीबीडीटी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने और विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार करे। सीबीडीटी संभावित मामलों के चयन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु मामलों के चयन के मानदंडों पर पुनर्विचार करने पर भी विचार करे।